रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258810 CG-DL-E-21112024-258810

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4609]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946

No. 4609]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2024

का.आ. 4997(अ).—केन्द्र सरकार दिनांक 03 अक्तूबर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 01 अक्तूबर, 2024 की अधिसूचना का.आ. 4330 (अ) के क्रम में, एतद्द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 20) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के प्रावधानों के तहत शेष अविध के लिए चयन हेतु वास्तुकला परिषद के एक और सदस्य की रिक्ति को अधिसुचित करती है।

[फा. सं. 4-15/2022-टीएस-VI] सौम्या गप्ता, संयक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION (Department of Higher Education) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2024

S.O. 4997(E).—In continuation of this Ministry's notification S.O. 4330(E) dated 01st October, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) on 03rd October, 2024, the Central Government hereby notifies one more vacancy of member of the Council of Architecture, to be elected for the remainder period only, under the provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 3 of The Architects Act, 1972 (Act no. 20 of 1972).

[F. No. 4-15/2022-TS-VI] SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

7503 GI/2024